UPBR010115542023

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1, बरेली</u>

उपस्थित : विजेन्द्र त्रिपाठी (एच0जे0एस0)

सत्र परीक्षण संख्या : 1014/2023
सत्र वाद संख्या(कम्प्यूटर) : 1876/2023

राज्य

बनाम

1. छोटे सिंह पुत्र बट्टू सिंह,
2. प्रदीप सिंह पुत्र छोटे सिंह,
3. कुलदीप सिंह पुत्र छोटे सिंह,
4. सोनू सिंह पुत्र सत्यपाल सिंह,
   निवासीगण–ग्राम–गुरगांवा, सिरौली, जिला–बरेली।

मुकदमा अपराध संख्या–0063/2019
धारा–308/34, 323/34, 504 भारतीय दण्ड संहिता, 1860
थाना–सिरौली, जनपद–बरेली।

<u>निर्णय</u>

1– प्रस्तुत सत्र परीक्षण 1014/2023 मु0अ0सं0–63/2019, थाना–सिरौली, बरेली की पुलिस के द्वारा अभियुक्तगण छोटे सिंह, प्रदीप सिह, कुलदीप सिंह एवं सोनू सिंह के विरूद्ध भा0दं0सं0, 1860 की धारा–308, 323, 504 के अंतर्गत प्रेषित आरोप–पत्र पर संज्ञान लिये जाने के उपरान्त पारित सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 01.08.2023 पर आधारित है।

2– संक्षेप में अभियोजन का कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सत्यवीर सिंह, निवासी ग्राम गुरगांव, सिरौली, बरेली द्वारा थाना सिरौली, जिला–बरेली में सूचना जुबानी वादी इस आशय की पंजीकृत

करायी गयी कि वह सत्यवीर सिंह पुत्र सोवरन सिंह, ग्राम गुरगांव, थाना सिरौली, जिल बरेली का रहने वाला हूॅ। आज दिनॉक 24.01.2019 को समय करीब सुबह 11:00 बजे उसके ही गॉव के छोटे सिंह पुत्र बट्टू सिंह, प्रदीप सिंह पुत्र छोटे सिंह, कुलदीप सिंह पुत्र छोटे सिंह एवं सोनू सिंह पुत्र सत्यपाल सिंह रास्ते में मिट्टी डालकर रास्त अवरूद्ध कर रहे थे। उसने व उसके पुत्र रूपेन्द्र ने रास्ते पर मिट्टी डालने को मना किया, तो मुझे व मेरे पुत्र रूपेन्द्र को गाली गलौच करने लगे। जब हमने गाली देने को मना किया, तो मुझे व मेरे पुत्र को लाठी डंडों से मारा पीटा, जिससे उसे व उसके पुत्र को काफी चोटें आयीं हैं। उसकी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

3– वादी मुकदमा की जुबानी सूचना के आधार पर थाना सिरौली, जिला बरेली में अभियुक्तगण छोटे सिंह, प्रदीप सिंह, कुलदीप सिंह एवं सोनू सिंह के विरूद्ध धारा 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में एन0सी0आर0 संख्या 0009/2019 दिनॉक 24.01.2019 को पंजीकृत की गयी। चुटैल सत्यवीर एवं रूपेन्द्र की चिकित्सीय आख्या के आधार पर एन0सी0आर0 संख्या 0009/2019 को मु0अ0सं0 0063/2019 धारा 323, 504, 308 भा0द0सं0, 1860 के अंतर्गत उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध तरमीम किया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। साक्षीगण के बयान अंकित किये गये और विवेचनोपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण छोटे सिंह, प्रदीप सिंह, कुलदीप सिंह एवं सोनू सिंह के विरूद्ध धारा 323, 504, 308 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अन्तर्गत आरोप पत्र संख्या 116/2019 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

4– प्रश्नगत मामलें में अभियुक्तगण छोटे सिंह, प्रदीप सिंह, कुलदीप सिंह एवं सोनू सिंह के विरुद्ध दिनांक 19.05.2023 को आरोप भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 308/34, 323/34, 504 के अंतर्गत विरचित किया गया, अभियुक्तगण को उपरोक्त आरोप पढ़कर सुनाया व

समझाया गया, किन्तु अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

5– अभियोजन की ओर से, अभियुक्तगण के विरूद्ध, आरोपित अपराध को, सिद्ध करने हेतु, मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है :–

क0सं0	साक्षी सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार
1.	पी0डब्लू0–1	सत्यवीर सिंह	वादी मुकदमा
2.	पी0डब्लू0–2	रूपेन्द्र	पीड़ित साक्षी
3.	पी0डब्लू0–3	डा0 अजय कुमार	विशेषज्ञ साक्षी
4.	पी0डब्लू0–4	कां0 श्री वीर पाल सिंह	औपचारिक साक्षी
5.	पी0डब्लू0–5	डा0 राजकुमार वशिष्ठ	विशेषज्ञ साक्षी
6.	पी0डब्लू0–6	डा0 मोहम्मद शोएब	विशेषज्ञ साक्षी

अभियोजन की ओर से, उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई साक्षी नहीं परीक्षित कराया गया है।

6– अभियोजन द्वारा जो अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं, उनको दौरान विचारण सुसंगत साक्ष्य द्वारा प्रमाणित एवं सिद्ध कराया गया है, जिनको प्रदर्श से कमबद्ध किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं :–

क.सं.	**अभियोजन प्रपत्र**	**प्रदर्श**	**अभिलेख किस साक्षी द्वारा साबित किये गये हैं।**
1.	चोटिल सत्यवीर सिंह की मेडीकल रिपोर्ट	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–3 डा0 अजय कुमार
2.	चोटिल सत्यवीर सिंह की सप्लीमेंटरी रिपोर्ट	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–3 डा0 अजय कुमार
3.	एन0सी0आर0	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0–4 हे0कां0 वीरपाल

			सिंह
4.	जी0डी0नं0 29	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0–4 हे0कां0 वीरपाल सिंह
5.	तरमीमी मु0अ0सं0 63/2019	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0–4 हे0कां0 वीरपाल सिंह
6.	जी0डी0 नं0 26 दिनॉकित 02.05. 2019 समय 16:30 बजे	प्रदर्श क–6	पी0डब्लू0–4 हे0कां0 वीरपाल सिंह

7– अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष वस्तु के रूप में निम्नलिखित वस्तुएं साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गयी हैं और जिनके साबित होने के उपरान्त उन पर नियमानुसार वस्तु प्रदर्श अंकित किया गया –

क. सं.	**वस्तु का नाम**	**प्रदर्श**	**वस्तु किस साक्षी द्वारा साबित किये गये हैं।**
1.	चोटिल सत्यवीर सिंह की एक्सरे प्लेट	वस्तु प्रदर्श –1	पी0डब्लू0–5 डा0 राजकुमार
2.	चोटिल सत्यवीर सिंह की एक्सरे प्लेट	वस्तु प्रदर्श –2	पी0डब्लू0–5 डा0 राजकुमार
3.	चोटिल सत्यवीर सिंह की एक्सरे प्लेट	वस्तु प्रदर्श –3	पी0डब्लू0–5 डा0 राजकुमार
4.	चोटिल सत्यवीर सिंह की एक्सरे प्लेट	वस्तु प्रदर्श –4	पी0डब्लू0–5 डा0 राजकुमार
5.	चोटिल रूपेन्द्र सिंह की एक्सरे प्लेट	वस्तु प्रदर्श–5	पी0डब्लू0–5 डा0 राजकुमार
6.	चोटिल रूपेन्द्र सिंह की एक्सरे प्लेट	वस्तु प्रदर्श–6	पी0डब्लू0–5 डा0 राजकुमार

7.	चोटिल रूपेन्द्र सिंह की एक्सरे प्लेट	वस्तु प्रदर्श–7	पी0डब्लू0–5 डा0 राजकुमार

8– अभियुक्तगण प्रदीप, सोनू सिंह, छोटे सिंह एवं कुलदीप का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना को गलत बताया तथा गावाहान पी0डब्लू0–1 सत्यवीर सिंह एवं पी0डब्लू0–2 रूपेन्द्र के बयान के संबंध में कथन किया कि कुछ नहीं कहना है और पी0डब्लू0–3 डा0 अजय कुमार के बयान के संबंध में कथन किया कि वादी से मिलकर सब फर्जी कार्यवाही की है, पी0डब्लू0–4 कां0 वीरपाल सिंह के बयान के संबंध में कथन किया कि कुछ नहीं कहना है। पी0डब्लू0–5 डा0 राजकुमार वशिष्ठ एवं पी0डब्लू0–6 डा0 मोहम्मद शोएब के संबंध में कथन किया कि सब फर्जी कार्यवाही की है। सफाई साक्ष्य देने से इंकार करते हुये कथन किया कि गांव की पार्टी बंदी के कारण झूठा मुकदमा चला तथा कथन किया कि वे निर्दोष हैं।

9– मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

10– आपराधिक विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को अपने साक्ष्यों से युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने साक्ष्यों से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं।

11– प्रश्नगत मामले में अभियोजन को यह तथ्य संदेह से परे साबित करना है कि दिनॉक 24.01.2019 को समय 11:00 बजे वहद स्थान ग्राम गुरगांव, हल्का चौकी बड़ागांव, थाना सिरौली, जिला बरेली में

अभियुक्तगण छोटे सिंह, प्रदीप सिंह, कुलदीप सिह एवं सोनू सिंह द्वारा सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी मुकदमा एवं वादी मुकदमा के पुत्र रूपेन्द्र को जान से मारन की नीयत से लाठी–डंडों से मारपीट कर उनके सिर व शरीर पर गम्भीर चोटें पहुॅचायी। यदि अभियुक्तगण के उपरोक्त कृत्य से वादी मुकदमा एवं वादी मुकदमा के पुत्र की मृत्यु कारित होती, तो अभियुक्तगण हत्या की श्रेणी में आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते तथा अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा एवं उसके पुत्र को गंदी–गंदी गालियॉ देकर अपमानित किया।

12– इस संबंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री सुनील कुमार पाण्डेय द्वारा न्यायालय के समक्ष दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनॉक 24.01.2019 को समय 11:00 बजे वहद स्थान ग्राम गुरगांव, हल्का चौकी बड़ागांव, थाना सिरौली, जिला बरेली में अभियुक्तगण छोटे सिंह, प्रदीप सिंह, कुलदीप सिह एवं सोनू सिंह द्वारा सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी मुकदमा एवं वादी मुकदमा के पुत्र रूपेन्द्र को जान से मारन की नीयत से लाठी–डंडों से मारपीट कर उनके सिर व शरीर पर गम्भीर चोटें पहुॅचायी। यदि अभियुक्तगण के उपरोक्त कृत्य से वादी मुकदमा एवं वादी मुकदमा के पुत्र की मृत्यु कारित होती, तो अभियुक्तगण हत्या की श्रेणी में आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते तथा अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा एवं उसके पुत्र को गंदी–गंदी गालियॉ देकर अपमानित किया। उपरोक्त आपराधिक कृत्य को अभियोजन के द्वारा पूर्णतः सिद्ध एवं साबित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को उपरोक्त धारा में दोषसिद्ध किया जाय।

13– इस संबंध में अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण निर्दोष है। अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा व उसके पुत्र रूपेन्द्र के साथ कोई मारपीट नहीं की गयी और न ही गाली गलौज की। अभियोजन की ओर से कोई ऐसा स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं

किया गया है, जो अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित करता हो। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाय।

14– अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0–1 के रूप में सत्यवीर सिंह को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी0डब्लू0–1 प्रश्नगत प्रकरण में वादी मुकदमा हैं।

गवाह पी0डब्लू0–1 सत्यवीर सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि दिनांक 24.01.2019 की बात है। उसके गांव में कुल लोग रास्ते में मिट्‌टी डाल रहे थे, जिसकी वजह से गांव वालों का रास्ता अवरूद्ध हो गया। गांव वालों ने मना किया, तो वहॅा भीड़ लग गयी। भीड़ में गाली गलौज होने लगा और मारपीट शुरू हो गयी, तो भीड़ में से कुछ लोगों ने उसे व उसके लड़के रूपेन्द्र के साथा मारपीट कर दी, जिससे हम लोगों के चोटें आ गयीं। उसे व उसके लड़के को घायल अवस्था में गांव वाले थाने ले गये। गांव वालों के कहने पर उसने जुबानी रिपोर्ट लिखायी। पुलिस न उसका मेडीकल कराया। मुल्जिमान छोटे सिंह, प्रदीप सिंह, कुलदीप सिंह व सोनू सिंह ने उसके साथ मारपीट नहीं की, न ही उसके लड़के को मारा, न ही गाली गलौज की।

गवाह पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा सत्यवीर सिंह के मुख्य बयानात के द्वारा ही अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है। उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में ही कथन किया गया है कि अभियुक्तगण ने उसे व उसके लड़के रूपेन्द्र के साथ मारपीट किये जाने से इंकार किया गया है और न ही गंदी–गंदी गालियां दीं। कहा सुनी के दौरान भीड़ इकट्‌ठा हो जाने के कारण भीड़ में से कुछ लोगों ने उसे व उसके लड़के रूपेन्द्र के साथ मारपीट कर दी, जिससे वह घायल हो गये। गवाह पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा सत्यवीर सिंह के द्वारा उपरोक्त अपराध के घटित होने से पूर्णतः इंकार किया गया है।

15— अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0—2 के रूप में रूपेन्द्र को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी0डब्लू0—2 प्रश्नगत प्रकरण में चक्षुदर्शी/चोटिल साक्षी है।

गवाह पी0डब्लू0—2 रूपेन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ यह बयानात किया कि उसके गांव के कुछ लोग 24.01.2019 को रास्ते में मिट्‌टी डाल रहे थे, जिससे गांव वालों का रास्ता बंद हो गया था। गांव वालों ने मना किया, तो वहॅा काफी भीड़ लग गयी। भीड़ में गाली गलौज होकर मारपीट होने लगी। भीड़ में से कुछ लोगों ने उसे व उसके पिता सत्यवीर सिंह के साथ मारपीट कर दी, जिससे उसे व उसके पिता के चोंटें आयीं थीं। गांव वाले उसे व उसके पिता को थाने ले गये। गांव वालों के कहने से उसके पिता ने रिपोर्ट लिखायी थी। उसका व उसके पिता की चोटों का मेडीकल सरकारी अस्पताल में हुआ था। उसके साथ मुल्जिमान छोटे सिंह, कुलदीप सिंह, प्रदीप सिंह, सोनू सिंह ने मारपीट नहीं की थी और न ही इन्होंने उसके पिता के साथ मारपीट की।

गवाह पी0डब्लू0—2 रूपेन्द्र, जो कि घटना का चक्षुदर्शी और चोटिल साक्षी है, के द्वारा भी अभियुक्तगण छोटे सिंह, कुलदीप सिंह, प्रदीप सिंह व सोनू सिंह द्वारा उसे व उसके पिता को मारपीट किये जाने से इंकार किया गया है। उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षा की गयी तथा उसे धारा 161 दं0प्र0सं0 का बयान सुनाया गया, तो उसने कहा कि उसने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, कैसे लिख लिया वह इसकी वजह नहीं बता सकता। उक्त साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह किये जाने पर उक्त साक्षी ने कहा कि हाजिर अदालत मुल्जिमान छोटे सिंह, प्रदीप सिंह, कुलदीप सिंह, सोनू सिंह ने उसके व उसके पिता के साथ मारपीट नहीं की थी और न ही गाली गलौज की थी। दरोगा जी ने उसका कोई बयान नहीं लिया था। गवाह पी0डब्लू0—2 रूपेन्द्र चोटिल/चश्मदीद साक्षी के द्वारा उपरोक्त अपराध के घटित होने से पूर्णतः इंकार किया गया है।

16– अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0–3 के रूप में डा0 अजय कुमार को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी0डब्लू0–6 डा0 अजय कुमार प्रश्नगत प्रकरण में विशेषज्ञ साक्षी हैं।

गवाह पी0डब्लू0–6 अजय कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कहा कि वह बतौर चिकित्साधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर, बरेली पर तैनात था। उसी दिन होमगार्ड ऋषिपाल चुटैल सत्यवीर सिंह उम्र लगभग 52 वर्ष पुत्र सोबरन सिंह, निवासी गुरगांवा ब्लाक मझगवां को समय 03:55 पी0एम0 पर मेडीकल परीक्षण कराने हेतु मेरे समक्ष लेकर आये। चुटैल का पहचान चिन्ह गर्दन के बायें तरफ एक काला तिल के रूप में हुई, जिसके शरीर पर निम्न प्रकार की चोटें पायीं गयीं–

चोट सं0–1 लेसरेटिड बोन जो कि 7 गुणे 0.3 गुणे 0.3 राइट आईब्रो से 9.00 से ऊपर सिर पर था, जिसकी बनावट अनियमित थी। किनारे अनियमित व इन्वेंन्टिड थे।

चोट सं0–2 लेसरेटिड बोन 3.5 गुणे 0.4 गुणे 0.3 राइट आइब्रो से 9.5 सेमी0 ऊपर सिर पर था, जिसकी बनावट अनियमित व किनारे अनियमित पर इन्वेंटिड थे।

चोट नं0–3 एवरजन बोन 1.8 गुणे 1.8 सेमी0 लैफ्ट एल्बो पर था। बनावट व किनारे अनियमित थे।

चोट नं0–4 एवरजन बोन 0.8 गुणे 0.7 सेमी0 सीधे अंगुठे के बेस पर बनावट व किनारे अनियमित।

चोट नं0–5 एवरजन बोन 1 गुणे0.6 सेमी0 बायीं कलारे के पास बनावट व किनारे अनियमित।

चोट नं0–6 कंडेज बोन 5 गुणे 1.5 सेमी राइट फॉर आर्म पर एल्बो के पास बनावट व किनारे अनियमित।

चोट नं0–7 कंडेज बोन 24 गुणे 3.0 सेमी0 स्केप्ला व सोल्डर के ऊपर बनावट व किनारे अनियमित।

चोट नं0–8 कंडेज बोन 20 गुणे 3 सेमी0 ओवर राइट स्केप्ला व सोल्डर पर बनावट व किनारे अनियमित।

उसके द्वारा चोट नं0 1, 2 व 3 को जेरे निगरानी रखा गया, जबकि चोट नं0 4,5,6,7 व 8 साधारण प्रकृति की पायीं गयीं। उसकी राय में सभी चोटें ताजा थीं। सभी चोटें कुंदालय से आना संभव थीं। उसके द्वारा चुटैल के सिर का एक्सरे एवं लैफ्ट एल्बो का एक्सरे तथा उचित प्रबन्ध हेतु एवं एक्सपर्ट ओपिनियन हेतु जिला अस्पताल, बरेली को रेफर किया गया था। चुटैल का निशानी अंगूठा उसके द्वारा प्रमाणित किया गया है। चुटैल की इंजरी रिपोर्ट को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया गया है। उपरोक्त की सप्लीमेंटरी रिपोर्ट दिनॉक 02.05.2019 को उसके द्वारा तैयार की गयी थी जो कि अस्पताल, बरेली सीनियर कंसलटेंट आफ रेडियोलॉजिस्ट डा0 राजकुमार के आधार पर बनायी गयी। उनकी रिपोर्ट के अनुसार चुटैल के सिर में ए वैरी थिन लाइनर फ्रैक्चर लाइन सीन इन राइट वैराइटल बोन ऑफ स्कल पायी गयी, जबकि लैफ्ट एल्बो पर कोई भी बॉनी इंजरी नहीं पायी गयी। उनकी राय में सिर की चोट नं0–1, जिसमें कि फ्रेक्चर पाया गया, जो गम्भीर प्रकृति की थी, जबकि चोट नं0–2 लैफ्ट एल्बो की चोट साधारण थी। सप्लीमेंटरी रिपोर्ट कागज सं0 9ख/2 उसके हस्तलेख में तैयार की गयी थी, जिसे उसके द्वारा प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया गया है। जिरह में उक्त साक्षी द्वारा कथन किया गया है कि चोट नं0–1 को छोड़कर बाकी सभी चोटें साधारण थीं। चोट नं0–1 गंभीर थी लेकिन इससे मृत्यु होना संभव थी। यह चोट सिर के बल गिरने से भी आ सकती थी।

17– अभियोजन की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाह पी0डब्लू0–4 हे0 कां0 वीर पाल सिंह को परीक्षित कराया गया है। गवाह पी0डब्लू0–4 हे0कां0 वीर पाल सिंह प्रश्नगत प्रकरण में एन0सी0आर0 एवं

औपचारिक साक्षी हैं। पी0डब्लू0–4 हे0 कां0 वीर पाल सिंह के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने बयानात के माध्यम से एन0सी0आर0 को **प्रदर्श क–3** व जी0डी0 नं0 29 को **प्रदर्श क–4** व तरमीमी मु0अ0सं063/19 की चिक एफ0आई0आर0 को **प्रदर्श क–5** व जी0डी0 सं0 26 दिनॉकित 02.05.2019 को **प्रदर्श क–6** के रूप में साबित किया गया है।

18– अभियोजन साक्षी की ओर से पी0डब्लू0–5 के रूप में डा0 राजकुमार वरिष्ठ परामर्शदाता रेडियोलॉजी को परीक्षित कराया गया है, जो कि प्रश्नगत प्रकरण में विशेषज्ञ साक्षी है।

पी0डब्लू0–5 डा0 राजकुमार वशिष्ठ द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनॉक 25.01.2019 को इसी स्थान व पद पर तैनात था। उस दिन चिकित्साधिकारी सी0एच0सी0 रामनगर के द्वारा संदर्भित चुटैल सत्यवीर सिंह उम्र 52 वर्ष पुत्र सोबरन सिंह, निवासी गुरूग्राम थाना सिरौली, बरेली का सिर और बायें कोहनी का एक्सरे उसकी देखरेख में किया गया। एक्सरे रिपोर्ट सं0– 220 है, जिसके अनुसार सिर में एक बारीक हेयरलाइन फ्रेक्चर, दाये पैराइटल बोन ऑल स्कल में दिखायी पड़ा। बायीं कोहनी में कोई फ्रेक्चर पाया गया। उक्त रिपोर्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे उसके द्वारा **प्रदर्श क–7** के रूप में साबित किया गया है तथा एक्सरे प्लेट को **वस्तु प्रदर्श–1 लगायत 4** के रूप में साबित किया गया है।

इसी दिन चुटैल रूपेन्द्र सिंह उम्र 20 वर्ष पुत्र सत्यवीर सिंह निवासी उपरोक्त का सिर और बायीं हाथ और कलाई का एक्सरे उसकी देखरेख में किया गया। एक्सरे प्लेट सं0 221 है, के अनुसार कोई भी फ्रेक्चर नहीं पाया गया। यह कागज सं0 9ख/8 है, पर **प्रदर्श क–8** डाला गया और एक्सरे प्लेट पर **वस्तु प्रदर्श 5 लगायत 7** डाला गया।

19— अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0—6 के रूप में डा0 मोहम्मद शोएब को परीक्षित कराया गया है, जो प्रश्नगत प्रकरण में विशेषज्ञ साक्षी हैं।

पी0डब्लू0—6 डा0 शोएब द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि दिनांक 24.01.2019 को वह पी0एच0सी0 रामनगर पर मेडिकल आफिसर के पद पर तैनात था। उस दिन चुटैल रूपेन्द्र सिंह पुत्र सत्यवीर सिंह निवासी गुरूग्राम थाना सिरौली जिला बरेली को होमगार्ड रूसपाल लेकर आया था, जिसका मेडिकल परीक्षण उनके द्वारा 04:45 पी0एम0 पर किया गया था। चोटों का विवरणः

1. फटी हुई घाव सर के पीछे की ओर बायीं तरफ थी, जिसका माप 2.5 गुणे 1 गुणे 0.5 था।

2. फटा हुआ घाव बायें हाथ पर कलायी से नीचे डौरसल सर्फेस 1X0.5cm with tormatic swelling present over the wound 5X 4 cm.

3. contussion wound 7x3 cm on left arm with pain above the elbow joint midial side.

4. abrassion wound left knee 2x2cm.

चोट नं0 1 एवं 2 अण्डर ऑबजर्वेसन रखा गया। 3 एवं 4 चोट साधारण प्रकृति की थी। सभी चोटे हार्ड एवं ब्लण्ट ऑब्जेक्ट से आना संभव है। मरीज को एक्स—रे के लिये जिला अस्पताल बरेली के लिये भेजा गया था। मेडिकल रिर्पोट मेरे हस्तलेख में जिसपर मेरे हस्ताक्षर है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ, जो पत्रावली पर सामिल है, जिसपर **प्रर्दश क—9** डाला गया।

20— पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि साक्षी पी0डब्लू0—1 वादी मुकदमा सत्यवीर सिंह एवं पी0डब्लू0—2 चक्षुदर्शी/चोटिल रूपेन्द्र सिंह द्वारा अपने बयानात में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। साक्षी पी0डब्लू0—4 हे0 कां0 वीर पाल सिंह उपरोक्त प्रकरण में औपचारिक साक्षी हैं तथा

साक्षी पी0डब्लू0–3 डा0 अजय कुमार, पी0डब्लू0–5 डा0 राजकुमार एवं पी0डब्लू0 6 डा0 मोहम्मद शोएब विशेषज्ञ साक्षी हैं, न की तथ्य के साक्षी। उपरोक्त अभियुक्तगण छोटे सिंह, प्रदीप सिह, कुलदीप सिंह एवं सोनू सिंह के द्वारा उपरोक्त अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण छोटे सिंह, प्रदीप सिह, कुलदीप सिंह एवं सोनू सिंह धारा 308/34, 323/34, 504 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण छोटे सिंह, प्रदीप सिह, कुलदीप सिंह एवं सोनू सिंह को सत्र परीक्षण संख्या 1014/2023, मु0अ0सं0 63/2019, थाना सिरौली, जिला बरेली के मामलें में आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 308/34, 323/34, 504 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं। जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त दं0प्र0सं0, 1973 की धारा 437ए के अनुपालन में अंदर दस दिन मुबलिग पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू इस आशय से दाखिल करेंगें कि यदि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील होती है, तो जमानतदार संबंधित अभियुक्तगण को अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराने हेतु बाध्य होंगें और यदि वह अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अग्रसारित की जायेगी। यह जमानतनामें एवं बंधपत्र आगामी छः माह के लिए प्रभावी रहेंगे।

वस्तु प्रदर्श–1 लगायत वस्तु प्रदर्श–7 बाद मियाद अपील अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के निर्देशनुसार नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

वाद लिपिक दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 365 का अनुपालन नियमानुसार सुनिश्चित करे।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 30.05.2026 (विजेन्द्र त्रिपाठी)
JO CODE UP 6160
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1, बरेली।

यह निर्णय आज दिनॉक 30.05.2026 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

दिनांक 30.05.2026 (विजेन्द्र त्रिपाठी)
JO CODE UP 6160
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1, बरेली।

Digitally signed by VIJENDRA TRIPATHI
Date: 2026.06.02 16:02:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court